



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042022-235471
CG-DL-E-30042022-235471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1919]
No. 1919]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/ वैशाख 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/ VAISAKHA 9, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2022

का.आ. 2019(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 03 फरवरी, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 453(अ), तारीख 01 फरवरी, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण और दी टाइम्स ऑफ इण्डिया, में तारीख 10 फरवरी, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया और तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् इस्टन डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला धनबाद

क्रम संख्या	अंचल का नाम	मौजा का नाम/थाना सं.	खाता संख्या	प्लॉट सं./सर्वे सं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि के मालिक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	निरसा	कुलकुड़ी/75	4	193	0.1300	0.0526	रैयती	बाईद	निमाई चौधरी वो परेश चौधरी वो शुभाष चौधरी पिता लखु चौधरी वो नकुल चौधरी पिता बालक चौधरी वो बिनोद चौधरी वो हरेन चौधरी पिता गोबिन्द चौधरी।
2	निरसा	माड़मा/57	8	758	0.4520	0.1829	रैयती	कनाली	धरनीधर मंडल वो लखीकान्त मंडल वो समीर मंडल वो रब्बी मंडल पिता अतुल मंडल, आनन्द मंडल पिता सुरेन्द्र मंडल।
3	निरसा	श्यामपुर/74	86	1565	0.1000	0.0405	रैयती	गोड़ा-II	राखो हरि महतो पिता बिमल महतो।
4	बलियापुर	प्रधानखंता/18	69	831	0.5110	0.2068	रैयती	बाईद	भोला मंडल एवं अन्य।

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2304]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2022

S.O. 2019(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 453(E), dated the 1st February, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd February, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Dhanbad in the State of Jharkhand;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran and The Times of India, dated the 10th February, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Dhanbad in the State of Jharkhand.

DISTRICT: DHANBAD

Sl. No.	Name of Circle	Name of Mauza/ Thana no.	Khata No.	Plot No.	Area (in Acre)	Area (in Hectare)	Type of Land	Nature of Land	Recorded Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nirsa	Kulkunri/75	4	193	0.1300	0.0526	Raiyati	Baid	Nimai Choudhri, Paresh Choudhri, Shubhas Choudhri S/o Lakhu Choudhri, Nakul Choudhri S/o Balak Choudhri, Binod Choudhri, Haren Choudhri S/o Gobind Choudhri.
2	Nirsa	Marma/57	8	758	0.4520	0.1829	Raiyati	Kanali	Dharnidhar Mandal, Lakhikant Mandal, Samir Mandal, Rabbi Mandal S/o Atul Mandal, Anand Mandal S/o Surendu Mandal.
3	Nirsa	Shyampur/74	86	1565	0.1000	0.0405	Raiyati	Baid	Rakho Hari Mahato S/o Bimal Mahato.
4	Baliyapur	Pradhankhanta/18	69	831	0.5110	0.2068	Raiyati	Bayeed	Bhola Mandal and Others.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2304]

PANKAJ TYAGI, Executive. Director (L&A)